सं. डब्लू-11042/21/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

निर्मल भारत अभियान

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक 20.06.2014

सेवा में,

प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता
के प्रभारी सचिव,
सभी राज्य

विषय :- निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम (एनबीए) के तहत राज्य में निधियों का अंतर जिला अंतरण।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि मौजूदा एनबीए दिशानिर्देशों में एनबीए के अंतर्गत निधियों का अंतर जिला अंतरण करने के लिए कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। तथापि, बहुत से राज्यों ने समय समय पर राज्य में निधियों के अंतर जिला अंतरण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है, चूंकि कुछ जिले निधियों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ अन्य जिलों में अतिरिक्त निधियां उपलब्ध हैं।

2. कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए इस मामले पर मंत्रालय द्वारा विचार किया गया है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्यों को एनबीए के तहत एक जिले से अन्य जिलों/जिलों में निधियों को अंतरित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:-

i. एक जिले से दूसरे जिले में निधियों को अंतरित करने से पूर्व राज्यों को मंत्रालय से पूर्व-अनुमोदन लेना होगा।

ii. राज्यों को निम्नवत नीचे दिए गए प्रोफार्मा में इस मंत्रालय को अंतरण से संबंधित विवरण की सूचना देनी होगी:-

जिले में उपलब्ध निधियां जहां से अंतरित किया जाना है (डोनर जिले का नाम)	अंतरित की जाने वाली राशि (लाख में)	जिले में उपलब्ध निधियां जहाँ अंतरित की जानी है (प्राप्त करने वाले जिले का नाम)		प्राप्तकर्ता जिले के परियोजनगत उद्देश्यों को 100% पूरा करने के लिए आवश्यक शेष निधियाँ (लाख में)
नाम	राशि (लाख में)	नाम	राशि (लाख में)	

नोट:- इस पत्र को जारी करने से पूर्व राज्य द्वारा निधियों के अंतर जिला अंतरण संबंधी जानकारी कार्योत्तर अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय को भी पृथक रूप से प्रस्तुत की जाए और आईएमआईएस पर डाली जाए।

iii. निधियों का अंतर-जिला अंतरण कर लिए जाने के बाद राज्य द्वारा इससे संबंधित विवरण एनबीए-एनआईसी-आईएमआईएस की निगरानी में इस मंत्रालय के आईएमआईएस पर डाला जाना चाहिए।

iv. निधियों का अंतरण जिले के शेष परियोजनागत उद्देश्यों (वित्तीय) की सीमा के भीतर किया जाएगा, जहाँ निधियाँ अंतरित की गई हैं।

यह संयुक्त सचिव (स्वच्छता) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

(सुजॉय मजुमदार)
निदेशक

प्रति :- 1. एनबीए राज्य समन्वयनकर्त्ता, सभी राज्य ।
2. टीडी (एनआईसी) वैबसाइट पर डालने के लिए।